अनुदान संख्या 8 – उर्वरक विभाग
GRANT No. 8–DEPARTMENT OF FERTILISERS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*1,00*	. .	*–1,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*1,00*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	13455,97,00		13976,96,00	12395,72,62	–1581,23,38
पूरक	Supplementary	520,99,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1581,02,00
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	388,22,00		473,19,00	439,15,00	–34,04,00
पूरक	Supplementary	84,97,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					33,45,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *1.00 लाख* रु. का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "2401'' - "फसल कृषि कर्म'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंतत: अभ्यर्पित कर दिया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (158123.38 लाख रु.) अगस्त, 2003, दिसंबर, 2003 तथा फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 52099.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गई और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत थी।

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.1.00 lakh* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2401"-"Crop Husbandry" and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.158123.38 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.52099.00 lakhs obtained in August, 2003, December, 2003 and February, 2004 and constituted 11 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2401" फसल कृषि कर्म	Major Head "2401" Crop Husbandry				
मू.	O.	586674.00	332700.00	332681.92	–18.08
पु.	R.	–253974.00			
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	758345.00	854211.00	854208.15	–2.85
पु.	R.	95866.00			

(I) 4.00 लाख रु. का प्रावधान (एक मामले में 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.4.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in one case) remained wholly unutilised under two heads.

(II) मुख्य शीर्ष "2401" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "खाद और उर्वरक"-

(क) "देशी विनियंत्रित उर्वरकों की रियायती बिक्री के लिए अदायगियां"- 76000.03 लाख रु. की बचत (336600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "आयातित विनियंत्रित उर्वरकों की रियायती बिक्री के लिए अदायगियां"- 37000.00 लाख रु. की बचत (109000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(II) Under Major Head "2401"–savings occurred under the following heads:-

(A) "Manures and Fertilizers" –

(a) "Payment for concessional sale of Indigenous decontrolled fertilizers" – saving of Rs.76000.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.336600.00 lakhs); and

(b) "Payment for concessional sale of imported decontrolled fertilizers" – saving of Rs.37000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.109000.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें इस तथ्य के कारण हुईं कि रियायत की अंतिम दरें निर्धारित नहीं की गई थीं।

(खा) ''उर्वरकों का आयात''- 140992.05 लाख रु. की बचत (141074.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इस तथ्य के कारण थी कि प्रक्षेपित की गई मात्रा के अनुसार कोई आयात नहीं किया गया था।

(III) मुख्य शीर्ष ''2852'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''उर्वरक उद्योग - अनुसंधान एवं विकास''-

(क) ''भारत-इंग्लैंड-उर्वरक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान''- 181.27 लाख रु. की बचत (1800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई। यह बाह्य रूप से सहायताप्राप्त कार्यक्रम था और व्यय अनुमोदित सहायता पर निर्भर करता है।

(ख) ''उर्वरक विकास के लिए अन्य अनुसंधान स्कीमें''- 334.00 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) ''विभाग का एस एवं टी कार्यक्रम''- 107.38 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें अनुदानों की पूरक मांगों के अनुसार पूंजीगत भाग में निधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तकनीकी अभ्यर्पण किए जाने के कारण हुईं।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 79.62 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 42 प्रतिशत थी।

3. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''उर्वरक उद्योग - उर्वरक आर्थिक सहायता'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''उर्वरक प्रतिधारण कीमत स्कीम के अधीन अदायगियां''- 93600.00 लाख रु. का अधिक व्यय (658200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

Savings under the above two heads were due to the fact that final rates of concession were not decided.

(B) "Import of Fertilizers" – saving of Rs.140992.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.141074.00 lakhs) was due to the fact that there was no import against the projected quantities.

(III) Under Major Head "2852" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Fertilizer Industries - Research and Development"-

(a) "Grants under Indo-UK-Fertilizer Development Programme" – saving of Rs.181.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1800.00 lakhs) was due to receipt of less claims. This was an externally aided programme and expenditure depends on aid approved.

(b) "Other Research Schemes for Fertilizers Development"- saving of Rs.334.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs); and

(c) "S & T Programme of Department" – saving of Rs.107.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to technical surrender to meet the requirement of funds in capital section as per Supplementary Demands for Grants.

(IV) Under one head saving of Rs.79.62 lakhs occurred constituting 42 percent of the sanctioned provision.

3. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2852" - "Fertilizer Industries - Fertilizer Subsidy" - under the following heads:-

(A) "Payment under Fertilizer Retention Price Scheme"- excess of Rs.93600.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.658200.00 lakhs); and

(खा) "ब्याज और सीमा शुल्क के लिए अदायगी, नई और हाल ही में शुरू की गई उर्वरक इकाईओं को रियायतें''- 3000.00 लाख रु. का अधिक व्यय (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पिछले वर्ष के दावों के बकाया की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (3404.00 लाख रु.) अगस्त, 2003 में प्राप्त किए गए 8497.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 40 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(B) "Payment on account of interest and customs duty, concession to new and recently commissioned Fertilizer units"- excess of Rs.3000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to payment of arrear of claims of previous year.

4. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.3404.00 lakhs) constituted 40 percent of the supplementary grant of Rs.8497.00 lakhs obtained in August, 2003 and 7 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head 4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	2000.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–2000.00			
मुख्य शीर्ष ''6855'' उर्वरक उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head 6855" Loans for Fertilizer Industries				
मू.	O.	36797.00			
पू.	S.	8497.00	43949.00	43890.00	–59.00
पु.	R.	–1345.00			

(I) 2000.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552'' - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों पर व्यय को संबंधित कार्यात्मक शीर्ष से पूरा करने के लिए पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का उपयोग किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs. 2000.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552" – "Other Expendtiture- Lumpsum provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim"- due to utilisation of funds by reappropriation for meeting expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim from the concerned functional head.

(II) मुख्य शीर्ष "6855" - "सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - उर्वरक और रसायन ट्रावनकोर लिमिटेड" के अंतर्गत 2200.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 6000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 8200.00 लाख रु. कर दिया गया था। तथापि, जो कुछ स्कीमों का अनुमोदन न किए जाने के कारण 474.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष "6855" - "सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड"- 5551.00 लाख रु. की बचत (6000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड"- 4515.00 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) "पायराइट्स, फास्फेट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड"- 2693.00 लाख रु. की बचत (5400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें कंपनियों के बंद किए जाने के कारण हुईं ।

5.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (9414.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "6855" - "सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-भारत परियोजना और विकास लि." के अंतर्गत पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 9355.00 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "6855" - "सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) "मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड"- 744.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ नई स्कीमों का अनुमोदन किए जाने के कारण हुआ।

(II) Under Major Head "6855" - "Loans to Public Sector and Other Undertakings - Fertilizers and Chemicals Travancore Limited" - the original provision of Rs.2200.00 lakhs was augmented to Rs.8200.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.6000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.474.00 lakhs - due to non-approval of some schemes.

(III) Under Major Head "6855" - "Loans to Public Sector and Other Undertakings" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Fertilizers Corporation of India Limited" - saving of Rs.5551.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6000.00 lakhs);

(B) "Hindustan Fertilizers Corporation Limited" - saving of Rs.4515.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs); and

(C) "Pyrites, Phosphates and Chemicals Limited" - saving of Rs.2693.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5400.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to closure of the companies.

5.(I) The above savings were partly (Rs.9414.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant under Major Head "6855"- "Loans to Public Sector and Other Undertakings - Projects and Development India Limited". Actual excess, however, was Rs.9355.00 lakhs.

(II) The savings were also partly offset by excess under Major Head "6855" - "Loans to Public Sector and Other Undertakings" - under the following heads:-

(A) "Madras Fertilizers Limited" - excess of Rs.744.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1400.00 lakhs) was due to approval of some new schemes.

(खा) ''ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड''- 1730.00 लाख रु. का अधिक व्यय (14973.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए उपयोग करने के लिए मुख्य शीर्ष ''4552'' से कार्यात्मक शीर्ष को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुआ।

(B) “Brahamputra Valley Fertilizers Corporation Limited” - excess of Rs.1730.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.14973.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “4552” to functional head for utilisation for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.